न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष—ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/333/2017 CNR no. MP30010028102017 सिविल वाद क्रमांक 72 ए/2017 संस्थित दिनांक :—19/05/2017

1. रामप्रकाश पुत्र केदारनाथ सविता, उम्र-73 वर्ष,

2. बालेश्वरदयाल पुत्र श्री नारायण सविता, उम्र—75 वर्ष, दोनों निवासी—ग्राम चूरे का पुरा, थाना—नयागाँव, जिला—भिण्ड (म0प्र0)आवेदकगण / वादीगण

/ / बनाम / /

नाथूराम पुत्र हरचरन सविता, उम्र–50 वर्ष,
महेन्द्र सिंह पुत्र हरचरन सविता, उम्र–31 वर्ष,
दोनों निवासी–ग्राम चूरे का पुरा, थाना–नयागाँव,
जिला–भिण्ड (म०प्र०)

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री राजाराम सिंह राठौर। प्रतिवादीगण द्वारा श्री होतम सिंह भदौरिया अधिवक्ता।

<u>/ / आदेश / /</u> (आज दिनांक 16.02.2018 को घोषित)

- 1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. यह सिविल वाद ग्राम चूरे का पुरा, थाना—नयागाँव, जिला—भिण्ड स्थित मकान चौड़ाई पूरब से पश्चिम 40 फीट व लम्बाई उत्तर से दक्षिण 70 फीट चतुर्सीमा पूरब में मोहन का मकान, पश्चिम में कालीचरन का मकान, उत्तर में छोटे सिंह का खेत व मकान व दक्षिण में सड़क (जिसे आगे के पदों में "विवादित मकान" से सम्बोधित किया जायेगा) पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।
- 3. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है विवादित मकान वादीगण को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, विवादित मकान कच्चा बना हुआ है, जगह—जगह से फूट गया है और बारिस में एक दीवाल गिर गई। वादीगण रोजगार के सिलसिले में मुरैना, भिण्ड व खण्डहर के रूप में बचे विवादित मकान के एक कच्चे कमरे में रुकते थे।

दिनांक 08.04.2011 को फोन पर सूचना मिली कि प्रतिवादीगण विवादित मकान पर कब्जा करने का षडयंत्र कर रहे हैं, इस पर वादीगण दिनांक 09.04.2011 को ग्राम चूरेपुरा आये तो देखा कि प्रतिवादीगण ने विवादित मकान पर कब्जा कर लिया है और दिनांक 10.04.2011 वादीगण ने थाना नयागांव में शिकायत की तब पुलिस ने विवादित मकान खाली कराया। दिनांक 23.06.2011 को पुनः प्रतिवादीगण ने विवादित मकान की जगह पर नींव खोदकर निर्माण सामग्री इकठ्ठा कर ली, मना करने पर झगडा करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। वादीगण ने एस0डी०एम० भिण्ड के समक्ष धारा 145 द0प्र0सं0 का परिवाद प्रकरण क्रमांक 66 / 2011–145 संस्थित किया, जिसमें स्थगन आदेश दिया गया और पुलिस जांच रिपोर्ट मंगाई गई, पुलिस थाना नयागांव द्वारा जांच में विवादित मकान वादीगण का पाया गया, प्रतिवादीगण ने भी यह स्वीकार किया कि वादीगण की ही जगह है और प्रतिवादीगण ने यह बताया कि उन्होंने 30 वर्ष पूर्व 900 / – रुपये में बालेश्वरदयाल से खरीदा था परन्तु कोई दस्तावेज नहीं है। वादीगण ने कभी भी विवादित मकान व खण्डहर किसी को भी बेंचा नहीं है, प्रतिवादीगण ने बिना किसी आधार के विवाद उत्पन्न कर दिया है और जबरन विवादित मकान पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत हैं। एस0डी0एम0 के समक्ष लम्बित प्रकरण आदेश दिनांक 24.06.2014 से साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण कृमांक 161 / 2014 आदेश दिनांक 01.05.2017 से निरस्त की जा चुकी और और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण लिम्बत है। वादीगण की पुनरीक्षण याचिका निरस्त हो जाने के बाद प्रतिवादीगण जबरन विवादित मकान पर कब्जा करने पर आमादा है, दिनांक 04.05.2017 को यह धमकी भी दी है कि प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करेंगे और उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और विवादित मकान पर जबरन प्रतिवादीगण कब्जा कर मकान का निर्माण कर लेते हैं तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वे विवादित मकान पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और कोई निर्माण कार्य भी न करें।

4. आवेदन का जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण करीब 40 वर्ष पूर्व जमीन बेंच कर गांव छोड़ गये थे, इस कारण वादीगण को सही लम्बाई—चौड़ाई व चतुर्सीमा का ज्ञान नहीं है। विवादित मकान की जगह पर दक्षिण में प्रतिवादीगण के द्वारा कमरा हेतु निर्मित 4 फीट उंची दीवाल है, पश्चिम में स्थित दो छप्परों में उन्हीं का भूसा भी रखा है, नहाने व खाना बनाने का स्थान भी है और विवादित मकान पर प्रतिवादीगण का अपने जन्म से ही कब्जा है। विवादित मकान पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है, पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण गांव वालों के बहकावे में झूंठा विवाद उत्पन्न किया गया है और धारा 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही निरस्त हो जाने के बाद मिथ्या व मनगढ़ंत आधारों पर वाद संस्थित किया गया है। थाना नयागांव की पुलिस ने जांच के दौरान प्रतिवादीगण का कोई बयान नहीं लिया, वादीगण ने असत्य पंचनाम तैयार कराया है और आवेदन स्वीकारयोग्य नहीं होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

- 1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
- क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

📤 निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से 3 :-

- 6. वादपत्र के पैरा—3 में यह अभिवचन है कि वादीगण दिनांक 09.04.2011 को ग्राम चूरेपुरा आये तो देखा कि प्रतिवादीगण ने विवादित मकान पर कब्जा कर लिया था और दिनांक 10.04.2011 को थाना नयागाँव में रिपोर्ट किये जाने पर पुलिस ने मकान खाली कराया। वादीगण की ओर से अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि दिनांक 10.04.2011 को वादीगण ने थाना नयागाँव में शिकायत की थी जिस पर पुलिस ने प्रतिवादीगण से विवादित मकान खाली कराया है।
- 7. विवादित मकान पर वादीगण के स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा व खतौनी से केवल यह प्रकट होता है कि ग्राम सनवाई में वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ स्थित हैं और इस बारे में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि विवादित मकान पर वादीगण निवास कर रहे हैं।
- 8. वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज थाना नयागाँव में की गयी शिकायत दिनांक 21.09.2017 व दिनांक 01.11.2017 के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादीगण ग्राम चूरेपुरा में निवास नहीं करते हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत द्वारा तैयार पंचनामा प्रस्तुत किया है, किन्तु पंचनामा के आधार पर स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और विवादित मकान पर वादीगण के वास्तविक व भौतिक कब्जा के संबंध में इस प्रकम पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।
- 9. वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.09.2017 में यह अभिकथन है कि आवेदक / वादी रामप्रकाश ने मकान के पीछे पक्की बाउण्ड्री बनाकर आगे कच्ची बाउण्ड्री में दरवाजा लगा दिया है जिस पर उसका ताला भी लगा है और नाथूराम (प्रतिवादी) ताला तोड़कर सुबह—शाम आता—जाता है। उक्त तथ्यों का वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन व संलग्न नजरी—नक्शा में विवादित मकान पर 4 फीट ऊँची पक्की दीवाल व सामने की ओर दरवाजा लगे होने का अभिवचन है और उक्त तथ्यों से भी यह प्रकट है कि विवादित मकान पर वादीगण के वास्तविक व भौतिक कब्जा के बारे में विरोधाभाषी तथ्य अभिलेख पर हैं।

- 10. वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित मकान पर वादीगण का स्वत्व और वास्तविक भौतिक कब्जा है। विवादित मकान पर वास्तविक व भौतिक कब्जा के तथ्य का निर्धारण साक्ष्य के उपरांत गुण—दोष पर ही किया जा सकता है, इस प्रक्रम पर विवादित मकान पर वादीगण का अनन्य कब्जा नहीं माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है।
- 11. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या शपथपत्र भी नहीं है कि विवादित मकान पर वादीगण निवास करते हैं, वादपत्र के अभिवचन से ही यह प्रकट है कि वादीगण बाहर रहते हैं और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षित भी कारित नहीं होती है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म0प्र0) (म0प्र0)